राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2126 / SEIAA/2021
Date: 01/10/21

कार्यालयीन ज्ञापन

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (सिया) समिति द्वारा लिए गये निर्णय के परिपालन में आवेदन स्वीकार करने की वर्तमान प्रक्रिया में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है -

- वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावकों की पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन परिवेश www.Parivesh.nic.in प्रोर्टल में आनलाईन किया जाता है तथा स्वीकृति उपरांत हार्डकॉपी मय समस्त अनिवार्य दस्तावेज एवं नोटराइज्ड एफिटेविड तथा (डी.डी/RTGS/NEFT के माध्यम से) आवेदन शुल्क के साथ सिया कार्यालय में जमा कराया जाता है, तदोपरांत प्रकरण पंजीबद्व किया जाता है। प्रकरण पंजीबद्व करने के उपरांत ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) समिति को परीक्षण हेतु भेजी जाती है।

- इस प्रक्रिया में परियोजना प्रस्तावकों की सुविधा एवं समय की बचत तथा शासन के द्वारा ईज ऑफ डुईग बिजनेस प्रक्रिया अन्तर्गत परिपालन में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक **01 अक्टूबर 2021** से आवेदनों को भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर केवल ऑनलाईन परीक्षण कार्यवाही पूर्ण होने पर तथा आवेदन शुल्क की पुष्टि होने पर प्रकरण पंजीबद्व कर आगामी कार्यवाही हेतु सेक को भेज दिया जावेगा।

- सिया कार्यालय में किसी भी प्रकार के परियोजना प्रस्ताव/Compliance Report /आवेदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र / नोटराईज्ड एफिडेविट, सिया व सेक समिति द्वारा चाही गई समस्त जानकारी इत्यादि की हार्डकॉपी स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: / SEIAA/2021
Date:

- इस संबंध में परियोजना प्रस्तावकों को MoEF&CC, GoI द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा पूर्व में सिया द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्र. **1216** दिनांक **20.06.2019** तदोपरांत जारी समस्त निर्देशों / ज्ञापनों में उल्लेखित समस्त दस्तावेज एवं जानकारी पूर्ण रूप से ऑनलाईन ही जमा करने होंगे।

- इसी क्रम में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में अनिवार्य नोटराईज्ड शपथ-पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र/दस्तावेज/ नोटराईज्ड (RQP), संबंधित दस्तावेजों में परियोजना प्रस्तावकों के हस्ताक्षर/नोटॉराइज्ड होते हैं एवं आवेदक द्वारा दी जा रही undertaking दस्तावेज की भी स्केन प्रति ऑनलाईन परियोजना प्रतिवेदन के साथ ही स्वीकार किये जायेंगें। परियोजना प्रस्तावकों का पूर्ण पता पत्र व्यवहार हेतु, ईमेल, मोबाईल आदि भी प्रकरण ऑनलाईन पंजीबद्व करते समय अनिवार्य रूप से देनी होगी।

- आवेदकों को सिया द्वारा विभिन्न कार्यालयीन ज्ञापन में जहाँ भी हार्डकॉपी जमा करना निर्देशित था वो सभी दस्तावेज प्रकरण के ऑनलाईन पंजीबद्व करते समय ही देना होगा।

- आवेदन शुल्क सिया के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक **24-08-2021** में दिये गये निम्नानुसार बैंक खाता क्रमांक **6310000100024537**, पंजाब नेशनल बैंक, ED EPCO SEIAA के नाम से RTGS/NEFT द्वारा ही स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें परिवेश पोर्टल में पंजीबद्व करते समय परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पंजीबद्व क्रमांक तथा परियोजना प्रस्तावकों का नाम स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना अनिवार्य होगा तथा Payment Acknowledment Slip प्रकरण ऑनलाईन पंजीबद्व करते समय ही जमा करना होगा। तकनीकी कारणों से असुविधा होने पर वैकल्पिक रूप से प्रकरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: / SEIAA/2021
Date:

स्वीकृति का ईमेल mpseiaa@gmail.com पर देना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन में डी.डी की छायाप्रति जमा करना स्वीकार्य नहीं होगा।

- सिया द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) , TOR, Delist, Relist, इत्यादि संबंधित पत्र परिवेश प्रोर्टल से डाउनलोड किये जा सकेगें एवं हार्ड कॉपी आवेदक को पोस्ट द्वारा भेजी जावेगी।

- दिनांक **30.09.2021** तक जो भी ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत हुए हैं मात्र उन आवेदनों की हार्ड कॉपी आगामी एक सप्ताह (दिनांक **05.10.2021**) तक स्वीकार की जा सकेगी। दिनांक **01.10.2021** उपरांत ऑनलाईन आवेदित प्रस्तावों/दस्तावेजों को ऑनलाईन ही स्वीकार्य किया जाएगा उनकी हार्डकॉपी सिया कार्यालय में स्वीकार्य नहीं होगी।

01/10/21
(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव